भारत सरकार

"यह सुधार प्रक्रिया को समेकित, व्यापक और सुदृढ बनाने का बजट है। यह विकास के प्रति समर्पित बजट है। यह भारत के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राज्यों के साथ भागीदारी को और बढ़ावा देने वाला बजट है।"

बजट, 2002-03

28 फरवरी, 2002

बजट 2002-2003 की मुख्य विशेषतायें

बजट कार्यनीति

- कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था सुधारों पर बल देना जारी रखना।
- आधारभूत ढांचे में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाना।
- वित्तीय क्षेत्रक और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करना।
- संरचनात्मक सुधारों को सुदृढ़ करना और औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करना।
- निर्धनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- कर सुधारो का समेकन और केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय समायोजन जारी रखना।

कृषि और ग्रामीण विकास

- स्वास्थ्य और सुरक्षा दशाओं को विनियमित करना जारी रखते हुए नई दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता पर प्रतिबंध हटाने के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश (एमएमपीओ) का संशोधन।
- कृषि संबंधी उपस्करों की विभिन्न मदों से संबंधित लघु उद्योग आरक्षणों को हटाना।
- कृषि वस्तुओं के निर्यात का विकेन्द्रीकरण और शेष निर्यात नियंत्रणों की चरणबद्ध समाप्ति।
- सभी कृषि वस्तुओं को शामिल करने के लिए भावी और वायदा व्यापार का विस्तार।
- आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून और संबद्ध विनियम तैयार करने के लिए विधायी और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव देने हेतु मंत्रि समूह का गठन।
- केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के संबंध में अतिरिक्त आबंटनों को राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्रक के विनियंत्रण और अविनियमन से संबद्ध किया जाएगा।
- शीत भांडागारों के निर्माण और ग्रामीण गोदाम स्कीम, 2002-2003 के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम को 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।
- आरआईडीएफ-VIII की निधियां अगले वर्ष 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5500 करोड़ रुपए की जाएंगी, जबकि ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत की जाएगी। अब से इसे विद्यमान बैंक दर और उसमें 2 प्रतिशत जोड़कर नियत किया जाएगा। आरआईडीएफ से राज्यों को दी जाने वाली सहायता कृषि और ग्रामीण क्षेत्रकों में सुधारों से संबद्ध की जाएगी।
- स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण की स्कीम के अधीन 1.25 लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- 50,000 रुपए तक की ऋण राशि शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए विशेष एककालिक निपटान स्कीम घोषित की जाएगी।
- कृषि बीमा के लिए मौजूदा सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा एक नया कारपोरेशन प्रवर्तित किया जाएगा।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए आबंटन इस वर्ष 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 2,800 करोड़ रुपए किया गया।
- कृषि अनुसंधान के लिए आबंटन 684 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए किया गया।

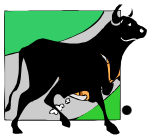

ग्रामीण सड़कें

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए 2,500 करोड़ रुपए का आबंटन।

ग्रामीण विद्युतीकरण

- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरु की जानी है। इसके लिए 164 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया।

ग्रामीण रोजगार

- देश के सर्वाधिक संकटग्रस्त जिले में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिए जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना (जेपीआरजीवाई) शुरु की जाएगी।
- वर्ष 1935 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए वर्धा संस्थान उन्नयन महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योगीकरण संस्थान नामक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया जाएगा।
- ग्रामीण स्थानीय निकायों, सहकारिताओं और गैर-सरकारी संगठनों को जिला और प्रखण्ड स्तरों पर ग्रामीण उत्पाद विपणन केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित करने और ग्राम हाटों का उन्नयन करने के लिए सहायता दी जाएगी।
- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अधीन संकट-प्रवण क्षेत्रों में निर्धनो द्वारा आवास के लिए एक मास्टर नीति के माध्यम से बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन

- गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वर्धित आबंटन;एसजीआरवाई के अधीन कार्य के लिए भोजन का एक बड़ा कार्यक्रम शुरु करने; प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्यों को 30 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न का आबंटन; वर्ष 2000-2001 में 5.5 लाख टन की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान 30 लाख टन की खुले बाजार में बिक्री और खाद्यान्नों के निर्यात के लिए वर्धित प्रोत्साहन जैसे खाद्यान्न के उच्च भंडार को कम करने के सरकार द्वारा कई उपाय किए गए।

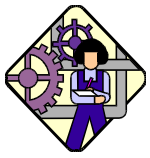

आधारभूत ढांचा

विद्युत

- वर्ष 2002-2003 के लिए 3,500 करोड़ रुपए के वर्धित आयोजना आबंटन के साथ एपीडीपी को त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के रूप में पुनः तैयार किया जा रहा है। सुधार का ध्यान उत्पादन से पारेषण और वितरण की ओर अंतरित हो गया है।
- उच्च-स्तरीय अनुवीक्षण दल इस कार्यक्रम के प्रगति का निरीक्षण करेगा। इस कार्यक्रम के लिए आबंटन को पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) से रियायती शर्तों पर ऋणों द्वारा बढ़ाया जाएगा।

सड़क, पत्तन और नागर विमानन

- स्वर्ण चतुर्भुज काफी हद तक समय अनुसूची से एक वर्ष पूर्व दिसंबर, 2003 तक पूरा हो जाएगा।
- बड़े पत्तनों को चरणबद्ध तरीके से निगमीकृत किया जाएगा। विनियामक ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का उन्नयन निजी क्षेत्र के प्रबंधन और दीर्घावधिक पट्टा प्रणालियों के माध्यम से निवेश करके विश्व श्रेणी के विमानपत्तनों के स्तर तक किया जाएगा। पट्टा देने की प्रक्रिया वर्ष 2002-2003 में पूरी हो जाएगी।

- ग्रीनफील्ड विमानपत्तन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को रियायतों के एक पैकेज के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

शहरी विकास

- राज्यों को सुधार-संबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन से शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) स्थापित की जाएगी। यह निधि किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार और शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम के निरसन, उच्च स्टाम्प शुल्क प्रणाली के यौक्तिकीकरण, भवनों के निर्माण, कार्यस्थलों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए उप-नियमों के संशोधन, नगर निगम कानूनों के संशोधन, वास्तविक प्रयोक्ता प्रभार लगाने तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संसाधन जुटाने और नागरिक सेवाओं की व्यवस्था में सरकारी-निजी भागीदारी प्रारंभ करने को बढ़ावा देगी।
- एक प्रोत्साहन आधारित सुविधा, जो नगर निगम प्रबंधन और सेवा सुपुर्दगी की सतत् और ऋणपात्रता वाली संस्थात्मक प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए संक्रमणकालीन लागतों को निधिपोषण के लिए शहरों को सहायता देगी, के रूप में एक शहर चुनौती निधि (सीपीएफ) स्थापित की जाएगी। ऋणपात्रता आधार पर बाजार उधार लेने तक पहुंच प्राप्त करने हेतु स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिए ऋण वृद्धि की व्यवस्था करने हेतु एक समूहीकृत वित्त विकास स्कीम भी स्थापित की जाएगी। नगर निगम कर मुक्त बांड जारी करने के लिए आबंटन 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया ।

पर्यटन

- वर्ष 2002-2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकास किए जाने हेतु 6 पर्यटन सर्किटों का पता लगाया जाएगा, विशेष प्रयोजन सुविधा को इन सर्किटों में आधारभूत ढांचा विकास के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र को संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी और हम्पी को पर्यटन के एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पर्यटन के लिए आयोजना परिव्यय 50 प्रतिशत बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए किया गया।

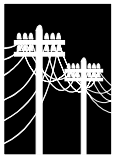

आधारभूत ढांचा वित्त

- आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश प्रदान करने में सहायता करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक आधारभूत ढांचा इक्विटी निधि स्थापित की जाएगी।
- 250 करोड़ रुपए से अधिक वाली आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा ऋण वित्तपोषण का समन्वय करने के लिए एक सांस्थानिक कार्यतंत्र स्थापित किया जा रहा है। आईडीबीआई और आईसीआईसीआई के साथ भागीदारी किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रकों के प्रारंभिक उत्तरदायित्व सहित आईडीएफसी एक संयोजक संस्थान के रूप में कार्य करेगा।

लोक निवेश

- विद्युत, सड़कों और रेलवे के लिए कुल आयोजना परिव्यय में क्रमशः 22 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई, जो कुल 37,919 करोड़ रुपए है।

वित्तीय क्षेत्रक और पूंजी बाजार

ऋण और पूंजी बाजार

- पुराने लोक ऋण अधिनियम, 1941 को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

- निवेशकों के संरक्षण और पूंजी बाजार विनियामक के रूप में "सेबी" की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए "सेबी" अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जाएगा।
- अन्य आवश्यक सुधार उपाय लागू करने के लिए वर्ष के दौरान यूटीआई अधिनियम में और विधायी परिवर्तन करना प्रस्तावित है।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों का पोर्टफोलियो निवेश विनिर्दिष्ट क्षेत्रकों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रकीय सीमाओं के अधीन नहीं होगा।

बैंकिग क्षेत्रक

- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के लिए बैकों और वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त राजकोषीय राहत दी जा रही है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के पूर्वमोचन और प्रभावी करने के माध्यम से ऋणदाता के अधिकारों को सुदृढ़ करने हेतु संसद में बैंकिग क्षेत्रक सुधार पर एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
- बैंकिग क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने और प्रतिभूतिकृत ऋणों के लिए बाजार विकसित करने हेतु उपाय करने के लिए दिनांक 30 जून, 2002 तक एक प्रायोगिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित की जाएगी।
- जमाकर्ता के जोखिम से निपटने और संकटग्रस्त बैंकों से निपटने के लिए प्रभावी साधन बनाने हेतु जमा बीमा ऋण और गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को बैंक जमा बीमा निगम (बीडीआईसी) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
- आईडीबीआई को निगमीकृत किया जाएगा।
- इंडियन बैंक को पुनः पूंजीकरण सहायता के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- विदेशी बैंक या तो अपने मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगे अथवा अपनी सहायक कंपनियां स्थापित करेंगे। सहायक कंपनियों को अन्य घरेलू बैंकों पर लागू प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदाय मानदंडों सहित सभी बैंकिग विनिमयों का पालन करना होगा।
- सहकारी ऋण संरचना के क्षेत्र में सुधार संबंधी उपाय लागू करने के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। सुधारों की गति के आधार पर अतिरिक्त निधियों के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

आवास वित्त

- राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) एक बंधक ऋण गारंटी स्कीम शुरु करेगा, जो चूक के एवज में ऋणदाताओं की पूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवास ऋणों को प्रदान किया जाएगा।
- स्वर्ण जंयती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 2.25 लाख रखा गया।
- वर्ष 2002-03 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटन में 13 प्रतिशत की वृद्धि करके 1725 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया ।

पूंजी खाता उदारीकरण

- अनिवासी भारतीयों के लिए जमाराशि की पूरी तरह में परिवर्तनीयता की योजनाएं । ऐसी योजनाएं, जिनके अंतर्गत एनआरआई के लिए पूरी परिवर्तनीयता का प्रावधान नहीं है, को 1 अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा।
- एनआरआई अपनी वर्तमान आय को भारत में विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

- भारतीय कंपनियां स्वतः मार्ग के माध्यम से वार्षिक आधार पर 50 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा से बढ़कर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश विदेश में कर सकेंगे।
- भारतीय कंपनियां अपनी निवल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत तक की राशि का समुद्रपारीय निवेश विदेशों में संयुक्त उद्यमों में बाजार - खरीद के द्वारा बिना पूर्वानुमति के कर सकती हैं।
- भारतीय पारस्परिक निधियों को, मौजूदा सीमाओं के भीतर, पूरी परिवर्तनीयता वाली मुद्राओं वाले देशों के मूल्याकिंत प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति।
- आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन से संबद्ध संदिग्ध हवाला संचालकों/मनी लांडरर्स को गिरफ्तार करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाया जाएगा।

संरचनात्मक सुधार

प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम)

पेट्रोलियम

- पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य-निर्धारण प्रणाली को 1 अप्रैल, 2001 से समाप्त कर दिया जाएगा।
- पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा तय किया जाएगा।
- तेल पूल खाते को समाप्त करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों को तेल बांड जारी किया जाना।
- निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को वितरण की अनुमति।
- इस क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए एक पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- घरेलू एलपीजी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के लिए बजट में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के लिए माल-भाड़ा सब्सिडी प्रदान किया जाना जारी रहेगा।
- 1 मार्च, 2002 से डीजल और पेट्रोल का मूल्य क्रमशः 50 पैसे तथा 1 रुपया कम हो जाएगा।
- मार्च, 2002 से एलपीजी के मूल्य में लगभग 40 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु मिट्टी के तेल के मूल्य में लगभग 1.50 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि की जा रही है।
- 1 मार्च, 2002 से एलपीजी तथा मिट्टी के तेल हेतु निर्दिष्ट एक समान दर आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के अनुसार इनके खुदरा मूल्य अलग-अलग होंगे।

लघु उद्योग

- मिश्रित ऋणों की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए छूट की सीमा को 25000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अधीन परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है।

- छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों, पेशेवरों तथा अन्य स्वरोजगार से जुड़े व्यक्तियों, जिनमें बहुत छोटे क्षेत्र वाले कार्यों से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं, को सरलीकृत और कर्जदार के अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड नामक स्कीम आरंभ की जाएगी।
- बुने हुए कपड़े (निटवीयर) की 50 से अधिक मदों, कुछ कृषि उपकरणों, आटो पुर्जों, कुछ रसायनों और औषधियों तथा अन्य को अनारक्षित किया जाएगा।

मानव विकास

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए आयोजना आबंटन को 4000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष 4,900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- पिछले वर्ष घोषित की गई व्यापक शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत करीब-करीब 50,000 विद्यार्थियों को लगभग 670 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं।

सामाजिक सुरक्षा

- जरुरतमंद लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा "जनरक्षा" नामक बीमा योजना तैयार की जा रही है। बीमा प्रीमियम के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया की अदायगी करने पर धारक प्रति वर्ष 30,000 रुपए का अंतरंग उपचार करा सकेगा।

महिलाएं और बच्चे

- महिला और बाल विकास विभाग के लिए आयोजना आबंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 2,200 करोड़ रुपए का कर दिया गया है।
- वैज्ञानिक व्यवसाय में अधिक संख्या में महिलाओं का प्रवेश प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम 100 छात्रवृत्तियों की स्थापना करना।
- राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत समेकित बाल विकास स्कीम ढांचे के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित किशोर लड़कियों एवं गर्भवती तथा पालन-पोषण करने वाली माताओं को सब्सिडीयुक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली

- चैन्नई स्थित राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान को अपने क्रियाकलाप शुरु करने के लिए 4 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। दिल्ली में निजी क्षेत्र की भागीदारी से राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की जाएगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति (आईएसएम) के लिए बजटीय सहायता 25 प्रतिशत बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

- अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान हेतु इस वर्ष के लिए आबंटन 792 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 879 करोड़ रुपए किया गया है।
- जनजातीय कल्याण के लिए आयोजना परिव्यय 21 प्रतिशत बढ़ाकर 290 करोड़ रुपए किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

- विभिन्न मंत्रालयों की केन्द्रीय आयोजना में से पूर्वोत्तर राज्यों में व्यय के लिए प्रावधान चालू वर्ष में 2,022 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आयोजना आबंटन 52 प्रतिशत बढ़ाकर 625 करोड़ रुपए किया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुधार हेतु निधि के लिए आबंटन 115 प्रतिशत बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया गया है। इस निधि से संसाधनों का प्रयोग विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी किया जा सकता है।
- भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले लघु नवाचारों हेतु राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से लघु उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की जाएगी ताकि उद्यमों में नवाचारों के परिवर्तन को सुगम बनाया जा सके।

राजकोषीय समेकन

व्यय प्रबंध

- 36 मंत्रालयों/विभागों, जहां व्यय सुधार आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, 42,200 सरप्लस जनशक्ति की पहचान की गई जिसमें से मार्च अंत, 2002 तक लगभग 12,200 पद समाप्त किए जाने की संभावना है।
- कुल सिविल कर्मचारियों की संख्या के 1 प्रतिशत की नई भर्ती को सीमित करने का निर्णय आगामी 4 वर्षों तक जारी रहेगा।
- यूरिया, डीएपी और एमओपी के निर्गम मूल्यों में लगभग 5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि। एसएसपी के लिए सब्सिडी 50 रुपए प्रतिटन घटाई गई। मिश्रित उर्वरकों की कीमतें भी उचित रूप से संशोधित की जाएंगी।
- 1 मार्च, 2002 से चीनी पर अनिवार्य लेवी को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। 1 मार्च, 2002 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का खुदरा मूल्य 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम होगा।
- डाक दरों में साधारण वृद्धि।

लघु बचतें तथा ब्याज दरें

- प्रशासित ब्याज दरों को अब द्वितीयक बाजार में समतुल्य परिपक्वताओं की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत वार्षिक लाभ तक सीमित रखा जाएगा।
- 1 मार्च, 2002 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों को 50 आधार अंकों तक घटाया जाएगा। भविष्य में समायोजन गैर-विवेकाधीन स्वतः आधार पर वार्षिक रूप से किए जाएंगे।
- लघु बचत जमाराशियों पर ब्याज दरों में कटौती के लाभ को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

- सरकारी राहत बांडों की ब्याज दर में 50 आधार बिन्दु की कटौती की जाएगी। इन बांडों में निवेश की उच्चतम सीमा 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी।
- 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जाने वाली अल्प बचतों की संपूर्ण निवल प्राप्तियां वर्तमान 80 प्रतिशत के हस्तांतरण से अधिक है।
- राज्य सरकारें इन अतिरिक्त कम लागत वाले संसाधनों से अपने पिछले उच्च लागत वाले ऋण की पूर्व-अदायगी कर सकेंगी।
- राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज की दर को 50 आधार अंकों द्वारा घटाया गया है।

रक्षा

- अगले वर्ष हेतु रक्षा व्यय के लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। रक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के उपाय के रूप में रक्षा कार्मिकों के लिए आवास निर्माण का एक वृहद कार्यक्रम भी शुरु किया जा रहा है।

राज्य राजकोषीय सुधार

- राज्यों को एपीडीआरपी, एआईबीपी, यूआरआईएफ, आरआईडीएफ जैसे बहुत से क्षेत्रों को सुधार संबद्ध सहायता के लिए 12,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। उन क्षेत्रकों में जो अभिवृद्धि और विकास में बाधा डाल रहे हैं नीतिगत सुधारों के लिए 2,500 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की गई।

कर प्रस्तावों के सिद्धांत

- कर प्रस्ताव चालू आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य मांग बढ़ाना, निवेश संवर्धन, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना, उत्पादकता बढ़ाना, कर आधार को व्यापक बनाना, कर ढांचे को युक्तिसंगत व सरल बनाना तथा स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहित करना है।

अप्रत्यक्ष कर

- कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 1,43,702 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

उत्पाद शुल्क

- अनेक मदों पर 16 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया।
- एलपीजी, मिट्टी के तेल, आटो सीएनजी और 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजनों पर अब 16 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) लगेगा।
- पिछले वर्ष कुछ मदों पर लागू किए गए 4 प्रतिशत की साधारण दर के उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया है। कुछ और मदें, जो अब तक छूट प्राप्त रहीं हैं, पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है।
- सिगार, चुरुट और तंबाकू सिगरिलोस या तंबाकू एवजी पर 16 प्रतिशत सेनवैट लगेगा।
- पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क ढांचों में परिवर्तन। घरेलू कच्चे तेल पर उपकर 900 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया। मोटर स्प्रिट पर लागू उत्पाद

शुल्क की यथामूल्य दर को 90 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत किया गया। तथापि, 6 रुपए प्रति लीटर का अधिभार लगाया गया है। इथनाल मिले मोटर स्प्रिट पर अधिभार 5.25 रुपए प्रति लीटर होगा।

- वस्त्र उद्योग के लिए विशेष प्रोत्साहन।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित रिफाइनरियों पर उत्पाद शुल्क की सामान्य दरों से उत्पाद शुल्क की आधी दरें प्रभारित की जाएंगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने वाली और वहां से आरंभ होने वाली हवाई यात्रा को अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर से मुक्त किया गया।
- चाय पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 1 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया।
- विनिर्दिष्ट एड्स-रोधी दवाओं को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- विनिर्दिष्ट शीत श्रृंखला उपस्करों की सूची में तीन और उपस्कर मदें जोड़कर उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- लघु क्षेत्र में ग्रेनाइट के लिए उत्पाद शुल्क छूट स्कीम वापस ले ली गई है।
- इस वर्ष उत्पाद शुल्क मूल्यांकन स्कीम में मदों की 9 और श्रेणियों को शामिल करते हुए मदों की श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 92 की गई।
- नए क्षेत्रों को सेवा कर के अंतर्गत लाया गया है।
- होटलों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर सेवा कर छूट 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाई गई।

सीमा शुल्क

- वर्ष 2004-05 तक सीमा शुल्क की केवल दो मूल दरें अर्थात 10 प्रतिशत की दर जिसके अंतर्गत सामान्यतया कच्चे माल, मध्यवर्ती माल और संघटक होंगे और 20 प्रतिशत की दर जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से तैयार उत्पाद शामिल होंगे। इस वर्ष 35 प्रतिशत की अधिकतम दर को घटाकर 30 प्रतिशत किया गया।
- अनेक ताप-सह-मर्तिका कच्चे मालों पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- पूराने और त्रुटिपूर्ण इस्पात पर बुनियादी सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत की आबद्ध दर तक बढ़ाया गया।
- तांबे, जस्ते और सीसा पर सीमा शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत और एल्यूमिनियम तथा टिन पर 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र शुल्क मुक्त उपस्कर, कच्ची सामग्रियां, संघटक आदि खरीदने के हकदार होंगे।
- पत्तनों और वायुपत्तनों के लिए निर्दिष्ट उपस्करों पर सीमा शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- वायुयानों, हैलिकाप्टरों, ग्लाइडरों, वायुयानों के अनुरूपकों और उनके कलपूर्जों तथा कच्ची सामग्रियों के संबंध में छूट प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क व्यवस्था जिसे वर्ष 2005 से प्रभावी बनाया जाएगा। कई हार्डवेयर निविष्टियों पर सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत तक घटाया गया तथा कुछ पूंजीगत वस्तुओं में इसे 15 प्रतिशत तक घटाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी से संम्बद्ध कुछ मदों पर शुल्क को 10 प्रतिशत तक अथवा डब्ल्यूटीओ बाध्यता के अनुसार 5 प्रतिशत तक घटाया जाएगा।

- सेलुलर फोन और पैजरों को सीबीडी से छूट प्रदान की गयी; बुनियादी सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
- चाय और कॉफी पर सीमाशुल्क को 100 प्रतिशत तक बढ़ाया गया तथा प्राकृतिक रबर, खसखस, मिर्च,लौंग,और इलायची पर 70 प्रतिशत तक और दालों पर 10 प्रतिशत तक सीमाशुल्क बढ़ाया गया।
- कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा उपकरणों पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- कैंसर तथा कुछ अन्य गम्भीर बीमारियों के लिए उपयोग में आने वाली आठ और दवाओं को पूर्ण छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल किया गया गया।
- ग्लूकोमीटर तथा टेस्ट स्ट्रिप पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विक्रय किए जाने वाले मिट्टी के तेल पर सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया।
- कुछ भूकेन्द्र उपस्करों तथा रेडियो उपस्कर पर सीमाशुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया।
- सीमेंट तथा खंगरों पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- विदेश से लौटने पर आवास बदलने में उपयोग मे आने वाले व्यक्तिगत उपयोग की कतिपय मदों पर सीमाशुल्क को 30 प्रतिशत तक घटाया गया। इस स्कीम के अधीन अनुज्ञेय मदों के मूल्य की समग्र सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया।
- वर्तमान में छूट प्राप्त कुछ मदों पर 5 प्रतिशत का सामान्य सीमाशुल्क लगाना कुछ अन्य मदों पर जो इस समय 5 प्रतिशत की सीमा शुल्क के दायरे में आते हैं, विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाना।
- आगामी दो वर्षों में "सैनवटे" को केवल एकल दर अर्थात् 16 प्रतिशत तक घटाया जाएगा ।

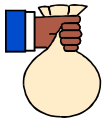

प्रत्यक्ष कर

- वर्ष 2000-2003 में प्रत्यक्ष कर राजस्व 91,585 करोड़ रूपए होगा।
- वैयक्तिक आय कर दरें यथावत रहेंगी।
- 1 अप्रैल, 2002 को अथवा उसके बाद अधिग्रहित नए संयंत्र तथा मशीनरी पर जिसका उपयोग नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना करने अथवा मौजूदा इकाइयों की संस्थापित क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत तक विस्तार करने हेतु किया जाएगा, 15 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास की अनुमति प्रदान करना।
- विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में लागू दर को 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया।
- "सिडबी " तथा एनएचबी द्वारा जारी बाण्डों में निवेश की गई राशियों पर धारा 54ङग के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ से छूट की अनुमति दी गई।
- लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की आय की दर से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है।
- स्व-अधिकृत मकानों पर आवास ऋणों के सम्बन्ध में देय ब्याज मे कटौती की अनुमति प्रदान की गयी है। यह उन ऐसे मकानों पर भी लागू है जो 31 मार्च, 2003 के बाद अधिग्रहित अथवा निर्मित किए जाएंगें और जिनकी वित्तीय वर्ष जिसमें कि ऋण लिया गया है, के अन्त से तीन वर्षों के भीतर अधिग्रहित अथवा निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

- बैंकों द्वारा अशोध्य तथा संदिग्ध कर्जों के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान के प्रति कटौती को कुल आय के 7.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। क्षतिग्रस्त अथवा संदिग्ध परिसम्पत्तियों की श्रेणी में आने वाली गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के 5 प्रतिशत की वैकल्पिक कटौती को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को भी इसी प्रकार का विकल्प प्रदान किया गया।
- दूरसंचार सेवाएं उपबल्ध कराने वाली तथा धारा 80-झक के तहत कटौती हेतु पात्र कम्पनियों को पिछली हानियों को अग्रेनीत और मुजराई करने के लाभ प्रदान किए गए। वित्तीय सेवा क्षेत्र सहित सेवा क्षेत्र में संलग्न अन्य कम्पनियों को इस लाभ के विस्तार की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा।
- होटलों पर व्यय कर-को बढ़ाकर प्रति दिवस 3,000 रुपए केवल कमरा प्रभारों के सम्बन्ध में लागू किया गया।
- होटलों अथवा टूर आपरेटरों से अर्जित विदेशी मुद्रा अर्जनों के सम्बन्ध में धारा 80जजघ के अन्तर्गत अनुज्ञेय अधिकतम कटौती को निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तथा निर्धारण वर्ष 2004-2005 हेतु 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा।
- बड़े सम्मेलन केन्द्रों हेतु स्थापित तथा संचालित इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों के 50 प्रतिशत की कटौती की अनुमति धारा 80-झख के तहत 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।
- गैर-शहरी कस्बों में स्थित इकाइयों द्वारा जो बहुविध-थियेटरों का निर्माण तथा संचालन कर रही हैं, अर्जित लाभों के 50 प्रतिशत की कटौती की अनुमति आगामी पांच वर्षों के लिए दी जाएगी।
- निम्न-श्रेणी की गैर वन्य भूमि पर वृक्षारोपण की परियोजनाओं के संचालन हेतु कम्पनी अथवा संस्थान को भुगतान की गयी राशि के सम्बन्ध में धारा 35कग के तहत कटौती प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों और वृक्षारोपण के संरक्षण के सम्बन्ध में किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में भी इस धारा के अधीन कटौती प्रदान की जाएगी।
- ऐसे धमार्थ तथा धार्मिक न्यासों और कुछ अन्य संस्थानों को, जिनसे अपने लेखों को प्रकाशित करने की अपेक्षा है और जिनकी कुल आय वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, धारा 10 (23ग) के तहत छूट का दावा करने से हटा दिया गया है।
- ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका कर योग्य वेतन जिसमें अनुलब्धियां शामिल नहीं हैं, 1,00,000 रुपए है, निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कोई अनुलब्धियों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, बाद के वर्षों में, नियोक्ता के लिए यह विकल्प होगा कि वह अपने कर्मचारियों के पक्ष में अनुलब्धियों पर कर का भुगतान करे।
- बकाया राशि के रूप में प्राप्त परिवार पेंशन पर धारा 89 के तहत राहत प्रदान की जाएगी।
- किसी स्थावर-सम्पत्ति के अन्तरण को पंजीकृत करने से पूर्व उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त की जाने वाली स्वीकृति को समाप्त कर दिया गया है।
- एनडीडीबी, प्रसार भारती तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा अर्जित आय पर कर छूट की अनुमति को हटा दिया गया है।
- लोगों के विचार जानने के बाद मूल्य ह्रास दरों की संशोधित अनुसूची को अधिसूचित किया जाएगा।
- कम्पनी तथा म्युच्युअल फंडों द्वारा वितरित लाभांश अथवा आय पर 10 प्रतिशत के वितरण को हटा दिया गया है। ऐसी आय पर प्राप्तकर्त्ताओं से जो उन पर लागू है, कर लगाया जाएगा और यह 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर कटौती के अधीन होगा। यूटीआई के इक्विटी उन्मुख निधियों

के यूनिट धारकों तथा अन्य म्युचुअल फंडों द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान प्राप्त आय पर मौजूदा आधार पर ही केवल 10 प्रतिशत कर लगेगा।

- 1,50,000 रुपए तथा 5 लाख रुपए के बीच की कर-योग्य आय पर धारा 88 के अंतर्गत, निवेश की गई राशि के केवल 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए से अधिक कर-योग्य आय पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रीय अथवा राज्य-स्तर के महत्व वाले कतिपय संस्थानों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे की 5 लाख रुपए तक की राशि पर कर-छूट प्रदान की जाएगी।
- "सम्पर्क " नामक एक योजना आरम्भ की जाएगी जिसके अंतर्गत कर दाता इंटरनेट के माध्यम से सूचना और फार्म प्राप्त कर सकेंगे।
- विशिष्ट लेन-देनों से संबंधित दस्तावेजों में झूठा पैन नम्बर लिखने वाले सभी मामलों में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- विदेश यात्रा पर 25,000 रुपए से अधिक राशि नकद खर्च करने, 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि से बैंक ड्राफ्ट खरीदने तथा किसी भी बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक राशि नकद रूप में जमा करवाने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) लिखना जरूरी होगा।
- पिछले वर्ष, गुजरात भूकंप के संदर्भ में लगाए गए 2 प्रतिशत के अधिभार को समाप्त कर दिया गया है। 60,000 रुपए तक कुल आय वाले व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों को छोड़कर, करदाताओं की सभी श्रेणियों पर एक समान 5 प्रतिशत का नया अधिभार लगाया गया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत कतिपय यूनिटों को निर्यात लाभ पर मिलने वाली 100 प्रतिशत कटौती को मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 के लिए घटा कर 90 प्रतिशत कर दिया गया हैं।